अपील / एल.आर. / 6058 / 2004 / सिरोही
रूपाराम बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4.9.19	**एकल पीठ** **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** उपस्थित– श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अपीलांट श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, उप राजकीय अभिभाषक **निर्णय** यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प सिरोही द्वारा प्रकरण सं. 30 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 23–6–2003 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि आवंटन सलाहकार समिति ने अपने आदेश दिनांक 26–6–76 द्वारा अपीलांट के पिता के हक में ग्राम गोडाना की आराजी खसरा नंबर 364 रकबा 16 बीघा भूमि का आवंटन किया गया, जिसे निरस्त करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 के तहत कलक्टर सिरोही के यहां प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 27–6–90 द्वारा स्वीकार करते हुए आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी सिरोही के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–6–2003 द्वारा निरस्त कर दी गई। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विरोधाभाषी कथन अंकित किया है एवं यह निवेदन किया गया कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि कौनसी शर्तो का पालन नहीं किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच किये एवं बिना कोई फाइन्डिंग दिये सरसरी तौर पर निर्णय पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलांट के पिता आवंटी पर बिना विधिवत तामील कराये एवं बिना समुचित सुनवायी का अवसर दिये एकतरफा में निर्णय पारित किया है, जो न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के संबंध विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के निर्णय दिनांक 23–6–2003 की सूचना प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को नहीं दी, जबकि उन्होंने प्रार्थी को यह कह रखा था कि जब भी निर्णय होाग, उसे सूचना कर देंगें। प्रार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से हुई जब उसने बताया कि प्रार्थी का आवंटन खारिज हो चुका है तब प्रार्थी दिनांक 8–12–04 को सिरोही गया एवं जानकारी करने पर निर्णय की पुष्टि हुई तब निर्णय की प्रति प्राप्त कर एवं वकील नियुक्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। अतः धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाए तथा अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय क्रमशः दिनांक 23–6–2003 एवं 27–6–90 निरस्त किये जाकर आवंटन आदेश दिनांक 26–6–76 को बहाल रखा जावे। विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन करने पर जिला कलक्टर सिरोही ने निर्णय दिनांक 27–6–90 द्वारा आवंटन को निरस्त किया है तथा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी पाली केम्प सिरोही ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 23–6–2003 द्वारा खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23–6–2003 में यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अंकित किया है कि– ''10. ....पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी मौजा गोडाना तहसील शिवगंज के वर्ष 2042–2045 की अवधि में प्रश्नगत आवॅटन से सम्बन्धित खसरा नम्बर 364 रकबा 16 बीघा पर किसी भी प्रकार की काश्त होना जाहिर नहीं होता है। यही नहीं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर तहसीलदार, शिवगंज के प्रतिवेदन दिनांक 20 / 6 / 1990 जो पृष्ठ सॅख्या 19 पर उपलब्ध है,–के बिन्दू सॅख्या–2 में यह अॅकित किया गया है कि प्रश्नगत आवॅटन से सम्बन्धित खसरा नम्बर 364 की 16 बीघा भूमि तत्समय पडत पडी थी। ऐसी स्थिति में पुनरावेदाधीन आदेश हमारी दृष्टि में हस्तक्षेप योग्य नहीं है।'' आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अपील प्राधिकारी ने प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को विस्तृत रूप से विवेचित एवं विश्लेषित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	